उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-63/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी.सी.60-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(229)-2022

लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 29 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम 36 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में,- नियम 36 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम तारीख 1 जनवरी, 2022 से रख दिया जायेगा, अर्थात् :- "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे इन्वॉइस या डेबिट नोट्स, जिनका ब्यौरा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित कोई इनपुट कर प्रत्यय तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि- (क) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स का ब्यौरा पूर्तिकर्ता द्वारा **प्रपत्र जीएसटीआर-1** में बाह्य पूर्ति से संबंधित विवरण में न दे दिया गया हो या ऐसे इनवाइस सुविधा देने का प्रयोग न किया गया हो; और (ख) ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स का ब्यौरा नियम 60 के उपनियम (7) के अधीन प्रपत्र **जीएसटीआर-2ख** में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को न प्रेषित कर दिया गया हो।";
नियम 80 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 80 में, - (क) उपनियम 1 के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- "(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 को या इसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"; (ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(3क) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण, तारीख 28 फरवरी, 2022 को या इसके पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा";
नियम 95 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 95 में, उपनियम (3) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा तथा वह तारीख 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ा हुआ समझा जायेगा; अर्थात् :- "परन्तु यह कि जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या कर इनवाइस में उल्लिखित न हो, वहाँ ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदत कर का प्रतिदाय केवल तभी किया जायेगा, जब इनवाइस की प्रति,

		आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हो और **प्रपत्र जीएसटीआरएफडी-10** में प्रतिदाय आवेदन के साथ दाखिल की गई हो ।";
नियम 142 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 142 में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से,- (क) उपनियम (3) में, शब्द और अक्षर "माल और प्रवहण को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिनों" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिनों के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व" रख दिये जायेंगे; (ख) उपनियम (5) में, शब्द "कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति" के स्थान पर शब्द "उससे संबंधित व्यक्ति द्वारा यथास्थिति संदेय कर, ब्याज और शास्ति," रख दिये जायेंगे ;
नियम 144 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, तारीख 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- **"अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली—144क.** (1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राक्कलन करके इस प्रकार प्रतिधारित या अभिगृहीत किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा : परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप से नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा । (2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय नीलामी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्टत: उपदर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10** में नोटिस जारी किया जाएगा : परंतु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपनियम (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पूर्व, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी है, संदाय करता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा । (3) बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख या नीलामी की तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व का नहीं होगा : परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप में नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना हो, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा । (4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने

		हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकेगी, उस दशा में समपहृत की जा सकेगी जब सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में विफल रहता है । (5) समुचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, **प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-11** में नोटिस जारी करेगा : परंतु जहां प्रतिधारित या अभिगृहीत माल नैसर्गिक रूप में नाशवान या परिसंकटमय हो या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना हो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकेगा । (6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण रकम का संदाय किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और **प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा । (7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुन: नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है । (8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की गई हो वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी : परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा ।"
नियम 154 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, नियम 154 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम, तारीख 1 जनवरी, 2022 से रख दिया जायेगा, अर्थात् :- **"माल या प्रवहण और जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन** **154** (1) व्यतिक्रमी से देयों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण, चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,- (एक) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी; (दो) तत्पश्चात् यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी; (तीन) तत्पश्चात् इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यक्तिक्रमी से देय किसी अन्य रकम के सापेक्ष विनियोजित की जाएगी; और (चार) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जहां उक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित न है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी ;

		(2) उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमो का अतिशेष का संदाय करना संभव न हो वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा ।
नियम 159 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से नियम 159 में- (क) उपनियम (2) में,- (अ) शब्द "कुर्की के आदेश की प्रति" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "प्रपत्र जीएसटीडीआरसी-22 में" बढ़ा दिये जाएंगे; (आ) शब्द "जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।" के पश्चात् शब्द और अंक "और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्क की गई हो ।" बढ़ा दिये जाएंगे ; (ख) उपनियम (3) में- (अ) शब्द "और यदि कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "और यदि व्यक्ति, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई हो" रख दिये जायेंगे; (आ) शब्द "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यक्ति" रख दिये जायेंगे; (ग) उपनियम (4) में, दो स्थानों पर आने वाले शब्द "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यक्ति" रख दिये जायेंगे; (घ) उपनियम (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "कुर्की के सात दिवसों के भीतर उपनियम (1) के अधीन इस आशय की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "प्रपत्र जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" रख दिये जायेंगे;
प्रपत्र जीएसटी डीआरसी – 10 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर तारीख 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :- "प्रपत्र जीएसटी डीआरसी – 10 [नियम 144 (2) और 144क देखिएं] **अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन निलामी के लिए नोटिस** मांग आदेश सं. तारीख: अवधि : मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या कर स्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है। या धारा 129 के अधीन प्रतिधारित या अभिगृहीत माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय......रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
विक्रय या निपटान के लिए दायी है।

विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जायेगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जायेगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार वे सुनिश्चित किये गये हैं प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

यह निलामी..... को प्रातः/सायं..........बजे आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक लॉट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल और/ या प्रवहण को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा।

अनुसूची

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>माल या प्रवहण का विवरण</th><th>मात्रा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

स्थान: हस्ताक्षर
तारीख: नाम:
पदनाम:" ;
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 का संशोधन</td>
<td>10.</td>
<td>
उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-11 में-

(क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिएं" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिएं" रख दिये जाएंगे;
(ख) शब्द "माल" के स्थान पर शब्द "माल या प्रवहण" रख दिये जाएंगे;
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 का संशोधन</td>
<td>11.</td>
<td>
उक्त नियमावली में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-12 में-

(क) शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिएं" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिएं" रख दिये जाएंगे ;

(ख) शब्द "माल" जहां कही भी आते हैं के स्थान पर शब्द "माल या प्रवहण" रख दिये जाएंगे ;

(ग) शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "धारा 79 (1) (ख)/(घ) के उपबंधों" के पश्चात् शब्द, अंक और कोष्ठक "या धारा 129 (6)" बढ़ा दिये जाएंगे ;
</td>
</tr>
</table>

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 का संशोधन	12.	उक्त नियमावली में, **“प्रपत्र जीएसटीडीआरसी-22”** के स्थान पर, तारीख 1 जनवरी, 2022 से निम्नलिखित प्रपत्र रख दिये जाएंगे, अर्थात् :- **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22** [नियम 159 (1) देखिए] संदर्भ संख्या.: तारीख: सेवा में, नाम................ पता................... (बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकृत करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी) **धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की** यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री........................(नाम) जिनका ....(पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या................(जीएसटीआईएन/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत कराधेय है । या यह सूचित किया जाता है कि श्री..........................(नाम) निवासी...........................(पता) जिनकी पैन संख्या.............और/या आधार संख्या........................है, धारा 122 की उप-धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा..................के अधीन उक्त व्यक्ति पर देय कर या किसी अन्य रकम को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं । विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का – <<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या>>................. है । या ....पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>। या यान संख्या.............. <<वर्णन>> या अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करे)....................... << (वर्णन) >> राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं..........................(नाम), ...(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूं । इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । **या** ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी। हस्ताक्षर नाम पदनाम प्रति (व्यक्ति का नाम)” ;

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-23 में, तारीख 1 जनवरी, 2022 से, - (क) शब्द "/स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी", के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी" ; (ख) दोनों स्थानों पर आने वाले, शब्द "कोई कार्यवाहियाँ व्यक्तिक्रम व्यक्ति के विरूद्ध लंबित" के स्थान पर, शब्द "अपेक्षित", रख दिये जायेंगे ;
प्ररूप एपीएल-01 का संशोधन	14-	उक्त नियमावली में, प्रपत्र एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के अधीन सारणी के स्थान पर, तारीख 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
(क) स्वीकृत रकम	कर/उपकर					< योग>	< योग >
	ब्याज					< योग >	
	शास्ति					< योग >	
	फीस					< योग >	
	अन्य प्रभार					< योग >	
(ख) पूर्व जमा (सीजी एसटी, एसजी एसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 % किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए	कर/ उपकर					< योग >	
(ग)धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा	शास्ति					< योग >	

<table>
<tr>
<td>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 का संशोधन</td>
<td>15.</td>
<td>
उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र तारीख 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22ए”
[नियम 159 (5) देखे]
तारीख :

संदर्भ संख्या
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या
सेवा में,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
..........................(अधिकारिता)

संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरूद्ध आपत्ति फाइल करने के लिए आवेदन

एआरएन संख्या.......................द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है ।

<table>
<tr><td>संदर्भ पहचान संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति</td><td><< संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>></td></tr>
<tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क खाता</td><td><<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या>></td></tr>
<tr><td>अनंतिम रूप से कुर्क यान</td><td><< यान के ब्यौरे>></td></tr>
<tr><td>कोई अन्य संपत्ति</td><td><< ब्यौरे>></td></tr>
</table>
2. सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता हूं ।
<<............................. >>
<<..अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>

सत्यापन
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

नाम-
जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) –
पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलें में) –
स्थान –
तारीख –
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर” ।
</td>
</tr>
</table>

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव